

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 26-05-2026

विषय सूची

असम समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026

केरल का समर्पित वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग

वैश्विक तनाव, वित्तीय संकट शांति स्थापना मिशनों के लिए खतरा: SIPRI

केंद्रीय वित्त मंत्री ने '3F' चिंताओं को रेखांकित किया: ईंधन, उर्वरक, विदेशी मुद्रा

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान

प्रातास द्वीपसमूह

जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयरगिवर डैशबोर्ड का शुभारंभ

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण योजना (PMFME)

भिन्नात्मक क्वांटम हॉल प्रभाव (FQHE)

कार्बन-रहित फेरोसीन में सफलता

ओरेश्निक मिसाइल(Oreshnik Missile)

तड़ित/आकाशीय बिजली(Lightning) से होने वाली मृत्युओं में निरंतर वृद्धि

असम समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026

संदर्भ

- असम सरकार ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया है।
 - असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद UCC विधेयक प्रस्तुत करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

- समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि सम्पूर्ण देश में एक ही कानून लागू हो, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि में लागू हो।
- उद्देश्य: विभिन्न धर्मों के आधार पर लागू अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर एक समान कानून लागू करना।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के भाग IV में निहित अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य “भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।”
- भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, जो न्यायालय में लागू या बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन शासन के लिए मौलिक माने जाते हैं।

भारत में UCC

- **गोवा में UCC:** यहाँ पुर्तगाली सिविल कोड, 1867 लागू है, जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों में सभी धर्मों के लोग समान कानून के अधीन हैं।
 - गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम, 1962 के अंतर्गत गोवा में यह सिविल कोड लागू किया गया।
- **उत्तराखंड:** 2024 में उत्तराखंड विधानसभा ने समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 पारित किया, जिससे स्वतंत्रता पश्चात UCC अपनाने वाला प्रथम राज्य बना।

असम UCC विधेयक, 2026 के प्रमुख प्रावधान

- **बहुविवाह और द्विविवाह पर प्रतिबंध:** विधेयक सभी नागरिकों के लिए एकपत्नीवाद अनिवार्य करता है। द्विविवाह और बहुविवाह को भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है।
 - विधेयक लागू होने से पहले संपन्न बहुविवाह कानूनी रूप से संरक्षित रहेंगे।
- **समान विवाह आयु:** पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित।
- **अनिवार्य पंजीकरण:** विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह के 60 दिनों के अंदर विवाह ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक।
 - पंजीकरण न कराने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान।
- **लिव-इन संबंधों का विनियमन:** लिव-इन संबंधों का पंजीकरण एक माह के अंदर अनिवार्य। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को वैध माना जाएगा।
 - परित्यक्त साथी को भरण-पोषण का अधिकार मिलेगा।
- **तलाक के समान आधार:** क्रूरता, परित्याग, आपसी सहमति जैसे आधारों को मानकीकृत किया गया।
 - अवैध तलाक और पुनर्विवाह से पूर्व अवैध शर्तों पर दंड का प्रावधान।
- **लैंगिक समान उत्तराधिकार:** पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता को समान उत्तराधिकार अधिकार। धर्म की परवाह किए बिना एक समान उत्तराधिकार ढाँचा।
 - लिखित वसीयत द्वारा उत्तराधिकार मान्य।
- **बाल विवाह और धोखाधड़ी विवाह:** बाल विवाह और बिना वैध सहमति वाले विवाह पर दंड।
 - बल, दबाव, छिपाव या धोखे से किए गए विवाह पर कारावास और जुर्माना।
- **अनुसूचित जनजातियों के लिए छूट:** विधेयक अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखता है ताकि उनकी परंपरागत प्रथाओं और संवैधानिक संरक्षण को सुरक्षित रखा जा सके।

UCC के पक्ष में तर्क

- **शासन में समानता:** समान कानूनों का एक सेट होने से शासन और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल हो जाएँगी, जिससे राज्य के लिए न्याय प्रदान करना और नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करना आसान होगा।

- **महिलाओं के अधिकार:** विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं। एक समान संहिता महिलाओं को अधिक समानतापूर्ण कानूनी ढाँचा प्रदान करेगी।
- **धर्मनिरपेक्षता:** समान नागरिक संहिता को देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना को सुदृढ़ करने का एक माध्यम माना जाता है, क्योंकि यह सभी नागरिकों को उनके धार्मिक संबंधों की परवाह किए बिना समान रूप से व्यवहार करती है।
- **राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन :** UCC का कार्यान्वयन भारत के विविध समुदायों के लिए साझा मंच स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और समेकन को बढ़ावा देगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में, जिनमें मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) शामिल है, समान नागरिक संहिता लागू करने का आह्वान किया है।
 - सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत कानूनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु समान नागरिक संहिता की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

UCC के विरुद्ध तर्क

- **संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध:** समान नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 और 26 तथा संविधान की छठी अनुसूची में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
- **बहुसंख्यकवाद का भय:** कुछ अल्पसंख्यक समूहों को आशंका है कि समान नागरिक संहिता वास्तव में तटस्थ ढाँचे के बजाय बहुसंख्यक समुदाय की परंपराओं और रीति-रिवाजों को प्रतिबिंबित करेगी।
- **भारत के विधि आयोग का मत:** विधि आयोग ने कहा है कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता “न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।”

आगे की राह

- UCC लागू करने से पूर्व विभिन्न सामाजिक वर्गों से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि समावेशिता, पारदर्शिता और विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान का वातावरण सुनिश्चित हो सके।

- व्यक्तिगत कानूनों में क्रमिक सुधार अचानक लागू की गई समानता की तुलना में अधिक प्रभावी और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होंगे।
- कानूनी सुधारों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कमजोर समुदायों के सांस्कृतिक और परंपरागत अधिकार सुरक्षित रहें।

स्रोत: TH

केरल का समर्पित वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग

संदर्भ

- केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु एक अलग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि जनसंख्या के वृद्धावस्था की ओर वृद्धिमान प्रवृत्ति और बुजुर्ग नागरिकों में सामाजिक अलगाव जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

भारत में वृद्ध जनसंख्या

- भारत की वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या 2036 तक लगभग 230 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15% होगी।
- महिलाओं की आयु अधिक होने के कारण वृद्ध जनसंख्या में उनका अनुपात अधिक है, जिससे वृद्धावस्था का स्त्रीकरण हो रहा है।
 - वृद्ध जनसंख्या में लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 1,065 महिलाएँ हैं। महिलाओं का हिस्सा 58% है, जिनमें से 54% विधवा हैं।
- दक्षिणी राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वृद्ध जनसंख्या अधिक है, और 2036 तक क्षेत्रीय असमानताएँ और बढ़ने की संभावना है।

अन्य राज्यों की तुलना में केरल में वृद्धावस्था

- भारत में वृद्ध जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात केरल में है। राज्य की लगभग 18.7% जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु की है, जबकि राष्ट्रीय औसत लगभग 11-12% है।

- 2036 तक राज्य में वृद्ध जनसंख्या 22% से अधिक होने का अनुमान है।
- केरल राज्य योजना बोर्ड की आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार वृद्धजन निर्भरता अनुपात (15-59 वर्ष आयु वर्ग की 100 कार्यशील जनसंख्या पर वृद्धजन की संख्या) वर्तमान में 26.1% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.7% है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) का भार:** बुजुर्ग नागरिक मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर आदि जैसे रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिनके लिए निरंतर उपचार और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है।
- **बहुरोगिता :** एक ही व्यक्ति में दो या अधिक दीर्घकालिक रोगों की उपस्थिति।
 - इससे बार-बार अस्पताल में भर्ती होना, उच्च उपचार लागत, जीवन की गुणवत्ता में कमी और देखभालकर्ताओं पर अधिक निर्भरता बढ़ती है।
- **सामाजिक अलगाव:** तीव्र शहरीकरण और प्रवासन ने पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली को कमजोर कर दिया है।
 - कई बुजुर्ग नागरिक अकेलेपन, अवसाद, चिंता और भावनात्मक उपेक्षा का सामना करते हैं।
- **अपर्याप्त जेरियाट्रिक स्वास्थ्य अवसंरचना:** भारत में 150 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,000 से भी कम प्रमाणित जेरियाट्रिशियन उपलब्ध हैं।
 - स्वास्थ्य प्रणाली उपचारात्मक देखभाल पर अधिक केंद्रित है, जबकि बुजुर्गों के लिए अनुकूल निवारक और सहायक देखभाल पर कम ध्यान दिया जाता है।
 - टियर-2 और टियर-3 शहरों में दवाओं, सहायक उपकरणों, पुनर्वास उपकरणों और चिकित्सा सामग्री की कमी रहती है।
- **उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय:** निरंतर दवा और बार-बार अस्पताल में भर्ती होने से परिवारों पर वित्तीय भार बढ़ता है।

भारत में वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकारी पहल

- **अटल पेंशन योजना (APY):** 2015 में शुरू की गई, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। 60 वर्ष के बाद ₹1,000-₹5,000 मासिक पेंशन की गारंटी।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** 2017 में शुरू की गई, बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों या ₹15,000/माह से कम आय वाले नागरिकों को सहायक उपकरण (श्रवण यंत्र, छड़ी, व्हीलचेयर आदि) वितरित करती है।
- **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल:** बुजुर्ग देखभाल सेवाओं में स्टार्ट-अप और नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जिससे सिल्वर इकोनॉमी का विकास होता है।
- **आयुष्मान भारत – पीएम-जय:** 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को 4.5 करोड़ परिवारों में ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007:** बच्चों और उत्तराधिकारियों को अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने का कानूनी दायित्व देता है।
 - राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम स्थापित करने और वरिष्ठ नागरिक कल्याण सेवाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

आगे की राह

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहन देना:** सामुदायिक केंद्रों, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएँ, ताकि बुजुर्ग नागरिक स्मार्टफोन, टेलीमेडिसिन एवं डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से परिचित हो सकें।
- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक देखभाल नीति:** भारत को स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को एकीकृत करते हुए एक समग्र वृद्धजन कल्याण ढाँचा तैयार करना चाहिए।

- सिल्वर इकोनॉमी में नवाचार को प्रोत्साहन: स्टार्ट-अप और उद्यमों को सहायक तकनीक, एआई-आधारित स्वास्थ्य निगरानी उपकरण और बुजुर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुप्रयोग विकसित करने में सहयोग दिया जाए।

स्रोत: TH

वैश्विक तनाव, वित्तीय संकट शांति स्थापना मिशनों के लिए खतरा:

SIPRI

संदर्भ

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने चेतावनी दी है कि भू-राजनीतिक तनाव और वित्तीय संकट शांति स्थापना मिशनों, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के अधीन संचालित मिशनों, को खतरे में डाल रहे हैं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **शांति स्थापना कर्मियों में तीव्र गिरावट:** दिसंबर 2025 तक विश्वभर में केवल 78,633 अंतरराष्ट्रीय कर्मी शांति स्थापना मिशनों में तैनात थे। यह विगत 25 वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर है। 2016 से कर्मियों की संख्या लगभग 49% घट गई है।
- **शांति अभियानों की संख्या में कमी:** 2025 में केवल 58 बहुपक्षीय शांति अभियान 34 देशों और क्षेत्रों में सक्रिय थे।
 - यह विगत वर्ष से कम है, जो संघर्ष प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के घटने को दर्शाता है।
- **संघर्ष क्षेत्रों में मिशनों का संकेंद्रण:** अधिकांश कर्मी कुछ अत्यधिक अस्थिर क्षेत्रों में तैनात थे—मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, सोमालिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और लेबनान।
 - उप-सहारा अफ्रीका में ही लगभग 70% शांति स्थापना कर्मी तैनात थे।

शांति स्थापना अभियानों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **वित्तीय संकट:** SIPRI द्वारा पहचानी गई सबसे गंभीर चुनौती संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को प्रभावित करने वाला वित्तीय संकट है। 2025 में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी रही।
 - कई सदस्य राष्ट्रों ने समय पर योगदान नहीं दिया और बजट कटौती के कारण सैनिकों की तैनाती और परिचालन क्षमता में कमी आई।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भू-राजनीतिक गतिरोध:** स्थायी सदस्यों के बीच बढ़ती विभाजन नई मिशनों की शुरुआत को कठिन बना रही है।
- **बहुपक्षवाद के लिए घटता राजनीतिक समर्थन:** प्रमुख शक्तियाँ राष्ट्रीय हितों, द्विपक्षीय समझौतों और अस्थायी सैन्य गठबंधनों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा ढाँचे कमजोर हो रहे हैं।
 - इससे अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों की वैधता घटती है और सुरक्षा प्रतिक्रियाएँ विखंडित होती हैं।
- **आधुनिक संघर्षों का परिवर्तित स्वरूप:** आधुनिक संघर्ष अंतर-राज्यीय के बजाय आंतरिक होते हैं, जो आतंकवाद और विद्रोह से प्रेरित होते हैं तथा जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े होते हैं।
 - शांति सैनिक अब गैर-राज्य सशस्त्र समूहों, आतंकवादी संगठनों और हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों का सामना कर रहे हैं।
 - पारंपरिक शांति स्थापना विधियाँ ऐसे वातावरण में प्रायः अपर्याप्त सिद्ध होती हैं।
- **मेज़बान राज्य का प्रतिरोध:** कई सरकारें बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करती हैं और शांति सैनिकों की परिचालन स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, जिससे मिशनों की प्रभावशीलता घटती है।
- **क्षेत्रीय विकल्पों की कमजोरी:** 2014 के बाद से कोई बड़ा नया संयुक्त राष्ट्र-नेतृत्व वाला शांति मिशन स्थापित नहीं हुआ है।
 - अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय जैसी संगठन दीर्घकालिक शांति निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधनों से वंचित हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन वे अभियान हैं जिन्हें संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैनात किया जाता है।
- प्रथम शांति मिशन 1948 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच युद्धविराम की निगरानी करना था।
- इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित किया और कार्य सौंपा गया।
- यह सामूहिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उद्देश्य संघर्षों को रोकना, नागरिकों की रक्षा करना, राजनीतिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना और देशों को संघर्ष से शांति की ओर ले जाना है।
- प्रमुख संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन
 - ♦ **MINUSTAH (हैती):** राजनीतिक स्थिरीकरण, सुरक्षा और मानवीय सहायता हेतु (2004–2017)।
 - ♦ **UNMISSET (ईस्ट तिमोर):** स्थिरता, शासन और सुरक्षा का समर्थन (2002–2005)।
 - ♦ **UNMIL (लाइबेरिया):** शांति निर्माण, निरस्त्रीकरण और संघर्षोत्तर पुनर्प्राप्ति में सहयोग (2003–2018)।
 - ♦ **MINURCAT (मध्य अफ्रीकी गणराज्य एवं चाड):** नागरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर केंद्रित (2007–2010)।
 - ♦ **UNMOGIP (भारत-पाकिस्तान):** जम्मू एवं कश्मीर में युद्धविराम स्थिति की निगरानी (1949 से)।
- युगांडा सैन्य कर्मियों का शीर्ष योगदानकर्ता बना, इसके बाद नेपाल, बांग्लादेश और भारत का स्थान रहा।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बलों को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के सिद्धांत

- **पक्षों की सहमति:** शांति स्थापना अभियानों के लिए प्रमुख संघर्षरत पक्षों की स्वीकृति आवश्यक है।
- **निष्पक्षता:** शांति सैनिकों को सभी पक्षों के बीच तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए।
- **बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा हेतु:** बल का प्रयोग केवल आत्मरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा और मिशन के जनादेश को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

स्रोत: SIPRI

केंद्रीय वित्त मंत्री ने '3F' चिंताओं को रेखांकित किया: ईंधन, उर्वरक, विदेशी मुद्रा

संदर्भ

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच '3F'—ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा—पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया, यह रेखांकित करते हुए कि घरेलू अर्थव्यवस्था अब भी लचीली बनी हुई है।

भारत के लिए "3F" का महत्व

- **ईंधन :** भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है और ऊर्जा आपूर्ति के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर अत्यधिक निर्भर है।
 - ♦ कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से आयात बिल बढ़ता है और चालू खाते का घाटा चौड़ा होता है।
 - ♦ ईंधन लागत बढ़ने से परिवहन, विनिर्माण और घरेलू ऊर्जा उपभोग में महंगाई आती है।
 - ♦ ईंधन सब्सिडी और उत्पाद शुल्क में कटौती पर सरकारी व्यय बढ़ने से राजकोषीय प्रबंधन पर दबाव पड़ता है।
- **उर्वरक:** भारत खाड़ी क्षेत्र से यूरिया, अमोनिया और फॉस्फेट जैसे उर्वरक और कच्चे माल का बड़ा आयात करता है।

- शिपिंग में व्यवधान और LNG कीमतों में वृद्धि से उर्वरक लागत तीव्रता से बढ़ सकती है।
- उर्वरक कीमतें बढ़ने से किसानों की खेती लागत बढ़ती है।
- उर्वरक उपलब्धता घटने से कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
- इनपुट लागत बढ़ने से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है।
- किसानों को मूल्य झटकों से बचाने हेतु सरकार पर सब्सिडी का भार बढ़ता है।
- **विदेशी मुद्रा :** भू-राजनीतिक संकट के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा स्थिरता प्रभावित होती है क्योंकि अधिक तेल आयात के लिए डॉलर भुगतान की आवश्यकता होती है।
 - भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर की तुलना में अवमूल्यन।
 - आयात भुगतान बढ़ने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव।
 - वैश्विक अनिश्चितता में विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से धन निकाल सकते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में तीव्रता:** सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और विद्युत गतिशीलता में अधिक निवेश कर दीर्घकालिक रूप से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाई जा सकती है।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करना:** विनिर्माण दक्षता, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, आपूर्ति शृंखला की लचीलापन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में सुधार आवश्यक है।
- **स्थिर पूँजी प्रवाह को प्रोत्साहन:** दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), घरेलू विनिर्माण निवेश और अवसंरचना निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **उर्वरकों में आत्मनिर्भरता:** तकनीकी नवाचार, नीतिगत समर्थन और सतत विकल्पों के माध्यम से उर्वरकों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना दीर्घकालिक कृषि स्थिरता एवं आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत के व्यापक आर्थिक चिंताएँ

- **महंगाई का दबाव:** ईंधन और उर्वरक कीमतें बढ़ने से खाद्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स एवं विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महंगाई फैल सकती है।
- **राजकोषीय तनाव:** उपभोक्ताओं की रक्षा हेतु सरकार ईंधन करों में कटौती या सब्सिडी बढ़ा सकती है, जिससे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य प्रभावित होते हैं।
- **विकास पर प्रभाव:** वैश्विक अनिश्चितता और ऊँची ऊर्जा कीमतें औद्योगिक गतिविधियों एवं आर्थिक विकास को धीमा कर सकती हैं।
- **बाहरी क्षेत्र की संवेदनशीलता:** आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भारत को पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक आघातों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है।
- वित्त मंत्री द्वारा “3F” पर बल देना भारत की पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
- चूँकि ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा सीधे महंगाई, कृषि, बाहरी व्यापार एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता से जुड़े हैं, क्षेत्र में लंबे समय तक संघर्ष भारत की आर्थिक दिशा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
- इन कमजोरियों का प्रबंधन विविधीकरण, राजकोषीय संयम और ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से करना भारत की आर्थिक लचीलापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान

समाचार में

आवश्यक सुधार

- **ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण:** भारत को खाड़ी तेल पर अत्यधिक निर्भरता घटाकर अन्य देशों से आयात बढ़ाना चाहिए।
- **रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार:** अस्थायी वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों से निपटने हेतु तेल और गैस के रणनीतिक भंडार बढ़ाए जाएँ।

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए 66 विशिष्ट व्यक्तित्वों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। यह प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ।

समाचार के बारे में

- पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं।
- वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री शामिल हैं।
- शेष पुरस्कार विजेताओं को दूसरे समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख प्राप्तकर्ता

- धर्मेन्द्र सिंह देओल को कला में योगदान हेतु मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
- एन. राजम को संगीत में योगदान हेतु पद्म विभूषण प्रदान किया गया।
- भगत सिंह कोश्यारी को लोक मामलों में योगदान हेतु पद्म भूषण मिला।
- उदय कोटक को व्यापार और उद्योग में योगदान हेतु पद्म भूषण प्रदान किया गया।
- हरमनप्रीत कौर को खेलों में योगदान हेतु पद्म श्री मिला।
- लोक संगीतकार टागा राम भील को अल्गोजा की परंपरा को जीवित रखने हेतु पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

पद्म पुरस्कार

- **पद्म पुरस्कार:** देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, जिसकी स्थापना 1954 में हुई।
- **तीन श्रेणियाँ:**
 - **पद्म विभूषण:** भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
 - **पद्म भूषण:** तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
 - **पद्म श्री:** चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
- कला, सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल और सिविल सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं।
- प्रतिवर्ष 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को घोषित किए जाते हैं।
- जाति, पेशा, पद या लिंग की भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं।
- मरणोपरांत भी प्रदान किए जा सकते हैं।

चयन प्रक्रिया:

- अनुशंसाएँ राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, पूर्व पुरस्कार विजेताओं और जनता द्वारा की जाती हैं।
- पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।
- समिति की अनुशंसाएँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

स्रोत: TH

प्रातास द्वीपसमूह

संदर्भ

- हाल ही में प्रातास द्वीपसमूह में चीन और ताइवान के तटरक्षक बलों के बीच समुद्री गतिरोध देखा गया।

प्रातास द्वीपसमूह के बारे में

- **स्थान:** प्रातास द्वीपसमूह, जिसे डोंगशा द्वीप भी कहा जाता है, दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित प्रवाल एटॉल का समूह है।
- ये द्वीप दक्षिणी ताइवान, हांगकांग और चीनी मुख्यभूमि के बीच लगभग मध्य में स्थित हैं।
- वर्तमान में यह एटॉल ताइवान द्वारा प्रशासित और नियंत्रित है।
- **जनसंख्या:** द्वीपों पर जनसंख्या बहुत कम है और मुख्यतः ताइवान के तटरक्षक कर्मी और अनुसंधान सुविधाएँ विद्यमान हैं।
- **पारिस्थितिक महत्व:** इस क्षेत्र में डोंगशा एटॉल राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, जो समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है।
- **रणनीतिक महत्व:** दक्षिण चीन सागर के उत्तरी किनारे पर स्थित होने के कारण ये द्वीप समुद्री निगरानी और नौसैनिक अभियानों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।



स्रोत: IE

जीवन ऐप और शतायु जेरियाट्रिक केयरगिवर डैशबोर्ड का शुभारंभ

संदर्भ

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जीवन मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।

परिचय

- उद्देश्य:** देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहयोग तंत्र को सुदृढ़ करना।
- जीवन ऐप की विशेषताएँ:** सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी, आपातकालीन सहायता एवं वरिष्ठ नागरिक गृहों का विवरण।
 - प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस, सरल नेविगेशन और पहुँच सुविधाओं के साथ डिज़ाइन किया गया है।
- मंत्रालय ने शतायु (सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी) डैशबोर्ड भी लॉन्च किया।
 - इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करना है।
 - यह वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच और सामाजिक समावेशन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 - इसमें किसी विशेष जिले और राज्य में उपलब्ध जेरियाट्रिक केयरगिवर्स की जानकारी प्रदान करने की सुविधा है।

स्रोत: AIR

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण योजना (PMFME)

संदर्भ

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण योजना (PMFME) के क्रियान्वयन और उपलब्धियों पर मीडिया से संवाद किया।

परिचय

- PMFME योजना वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
- इसका उद्देश्य भारत के असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करना है।
 - यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसकी कुल लागत ₹10,000 करोड़ है। इसे 2020-21 से 2024-25 तक लागू करने की स्वीकृति दी गई थी और अब इसे सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) दृष्टिकोण को भी लागू करती है, जिससे खरीद, सामान्य सेवाओं और बाज़ार संपर्क में पैमाने की अर्थव्यवस्था संभव होती है।
- अब तक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 726 जिलों में 137 विशिष्ट उत्पादों की पहचान की गई है।
- उपलब्धियाँ:** कुल 1,96,270 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को क्रेडिट लिंकड सब्सिडी घटक के अंतर्गत समर्थन दिया गया है, जिनमें से 40% से अधिक लाभार्थी महिला उद्यमी हैं।
 - ब्रांडिंग और विपणन समर्थन के अंतर्गत 32 प्रस्ताव एवं 40 ODOP ब्रांड स्वीकृत किए गए, जिनसे 200 से अधिक खाद्य उत्पाद लॉन्च हुए।
 - कुल 1,164 सूक्ष्म उद्यमों को सीधे ब्रांडिंग और विपणन सहायता का लाभ मिला।

स्रोत: PIB

भिन्नात्मक क्वांटम हॉल प्रभाव (FQHE)

संदर्भ

- क्वांटम पदार्थों में हालिया प्रगति, विशेषकर ट्विस्टेड मल्टीलयर ग्राफीन में, ने भौतिकविदों को अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों के बिना भिन्नात्मक क्वांटम हॉल प्रभाव (FQHE) को पुनः निर्मित करने में सक्षम बनाया है।

हॉल प्रभाव

- हॉल प्रभाव की खोज 1879 में एडविन हॉल ने की थी।
- **सिद्धांत:** जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक से गुजरते हैं, तो वे लॉरेंज बल नामक पार्श्व बल का अनुभव करते हैं।
 - यह बल विद्युत आवेशों को चालक के एक ओर जमा कर देता है, जिससे हॉल वोल्टेज नामक अनुप्रस्थ वोल्टेज उत्पन्न होता है।
 - हॉल प्रभाव ने वैज्ञानिकों को पदार्थों में विद्युत आवेश वाहकों की प्रकृति समझने में सहायता की।

क्वांटम हॉल प्रभाव (QHE) क्या है?

- क्वांटम हॉल प्रभाव (QHE) हॉल प्रभाव का क्वांटम यांत्रिक संस्करण है, जो द्वि-आयामी इलेक्ट्रॉन प्रणालियों में अत्यधिक निम्न तापमान और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों में देखा जाता है।
- सामान्य परिस्थितियों में विद्युत प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ धीरे-धीरे बदलता है।
 - लेकिन क्वांटम परिस्थितियों में हॉल प्रतिरोध केवल विभाजित चरणों में बदलता है। इसे हॉल प्रतिरोध का क्वांटीकरण कहा जाता है।
- QHE ने प्रदर्शित किया कि सूक्ष्म स्तर पर इलेक्ट्रॉनों का व्यवहार क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का पालन करता है।
- **पूर्णांक क्वांटम हॉल प्रभाव (IQHE):** इसमें हॉल प्रतिरोध केवल पूर्णांक मान (1, 2, 3 आदि) लेता है।
 - यह प्रभाव तब होता है जब इलेक्ट्रॉन शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों में लैंडाउ स्तर नामक ऊर्जा स्तरों पर नियन्त्रण करते हैं।
- **भिन्नात्मक क्वांटम हॉल प्रभाव (FQHE):** इसमें हॉल प्रतिरोध $1/3$, $2/5$, $3/7$ जैसे भिन्नात्मक मान लेता है।
 - यह इलेक्ट्रॉनों के बीच सुदृढ़ अंतःक्रियाओं के कारण होता है, जो सामूहिक क्वांटम अवस्थाएँ बनाते हैं।
 - इन अवस्थाओं से एयॉन नामक क्वासिकण उत्पन्न होते हैं, जिनमें भिन्नात्मक विद्युत आवेश होता है।

अनुप्रयोग

- FQHE से उत्पन्न एयॉन को फॉल्ट-टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए आशाजनक माना जाता है।
- एयॉन सामान्य क्वांटम कणों की तुलना में अधिक स्थिर तरीके से क्वांटम सूचना संग्रहीत कर सकते हैं।
- QHE विद्युत प्रतिरोध के अत्यंत सटीक मापन प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी में प्रतिरोध मानक परिभाषित करने हेतु प्रयोग होता है।
- QHE ने ग्राफीन जैसे उन्नत क्वांटम पदार्थों पर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्रोत: TH

कार्बन-रहित फेरोसीन में सफलता

संदर्भ

- आईआईटी मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नया कार्बन-रहित अणु संश्लेषित किया है, जिसकी संरचना फेरोसीन जैसी है। यह एक रसायन विज्ञान की पहेली थी जो 70 वर्षों से अव्याख्यायित थी।

फेरोसीन क्या है?

- फेरोसीन एक रासायनिक यौगिक है जिसकी खोज 1950 के दशक में हुई थी।
- इसकी संरचना अद्वितीय सैंडविच संरचना है, जिसमें एक लौह परमाणु दो कार्बन-रिंग अणुओं के बीच स्थित होता है।
- फेरोसीन ऑर्गेनोमेटैलिक रसायन में अत्यधिक स्थिरता और असामान्य बंधन के कारण महत्वपूर्ण है।
- इसका उपयोग दवाओं, बैटरियों, उत्प्रेरकों, उन्नत सामग्रियों और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है।

नई खोज क्या है?

- शोधकर्ताओं ने पूरी तरह कार्बन-रहित फेरोसीन जैसी संरचना वाला अणु संश्लेषित किया।
- नए अणु में लौह के स्थान पर ऑस्मियम और कार्बन रिंगों के स्थान पर बोरॉन-आधारित रिंग हैं।
- इस खोज ने सात दशकों से अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली को हल कर दिया।

खोज का महत्व

- यह सफलता सिद्ध करती है कि कार्बन के बिना भी स्थिर फेरोसीन जैसी सैंडविच संरचनाएँ विद्यमान हो सकती हैं।
- इससे रासायनिक बंधन और आणविक स्थिरता की वैज्ञानिक समझ का विस्तार हुआ।
- यह खोज उन्नत सामग्रियों, नैनोप्रौद्योगिकी, उत्प्रेरण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में नई संभावनाएँ खोलती है।

स्रोत: IE

ओरेश्निक मिसाइल (Oreshnik Missile)

संदर्भ

- रूस ने कीव, यूक्रेन पर रातभर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में अपनी शक्तिशाली ओरेश्निक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया।

परिचय

- ओरेश्निक एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक आयुध प्रणाली है, जिसे रूस की RS-26 रुबेज़ प्रणाली पर आधारित माना जाता है।
- यह परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वारहेड ले जाने में सक्षम है।
- इसकी मारक क्षमता 3,000 से 5,500 किलोमीटर के बीच आंकी गई है, जिससे यूरोप के बड़े हिस्से को निशाना बनाया जा सकता है।
- इसकी गति मैक 10 (लगभग 2.5–3 किलोमीटर प्रति सेकंड) होने के कारण आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए इसे रोकना लगभग असंभव है।
- ओरेश्निक की विशेषता यह है कि यह एक साथ कई वारहेड ले जाकर विभिन्न लक्ष्यों पर प्रहार कर सकता है, जो सामान्यतः अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) से जुड़ी क्षमता है।

क्या आप जानते हैं?

- ओरेश्निक की मारक क्षमता उस श्रेणी में आती है जिसे शीत युद्ध कालीन मध्यम दूरी परमाणु बल (INF) संधि के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया था। अमेरिका ने 2019

में इस संधि से बाहर निकलने की घोषणा की थी, जिसके बाद रूस ने भी ऐसा किया।

स्रोत: HT

तड़ित/आकाशीय बिजली(Lightning) से होने वाली मृत्युओं में निरंतर वृद्धि

संदर्भ

- भारत में तड़ित/आकाशीय बिजली (Lightning) सबसे घातक प्राकृतिक आपदा के रूप में उभरी है, और इससे होने वाली मृत्युओं की संख्या वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है।


परिचय

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टों की समीक्षा से पता चला कि 1975 से 2024 के बीच 50 वर्षों में देश में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 1,02,263 मृत्यु हुईं।
 - इनमें से आधी से अधिक मृत्युएँ 2005 से 2024 के बीच हुईं।
- 2016 से तड़ित/आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली मृत्युएँ प्राकृतिक कारणों से हुई कुल मृत्यु का कम से कम 50% रही हैं, जबकि चक्रवात और बाढ़ से कम मृत्यु हुईं।
- राज्यवार आँकड़े बताते हैं कि अधिकांश मृत्युएँ गैर-प्रायद्वीपीय राज्यों में हुईं।
 - वर्ष 2024 में पाँच राज्यों—मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़—में कुल मृत्यु का लगभग 60% दर्ज किया गया।

तड़ित/आकाशीय बिजली क्या है?

- तड़ित/आकाशीय बिजली वातावरण में बादलों, वायु या भूमि के बीच उत्पन्न होने वाली विशाल विद्युत चिंगारी है।
- गर्जन वाले बादलों में लाखों वोल्ट का विद्युत आवेश होता है और बादल के अंदर विभिन्न ध्रुवीयता उपस्थित होती है।

- प्रारंभिक अवस्था में वायु सकारात्मक और नकारात्मक आवेशों के बीच इन्सुलेटर का कार्य करती है।
- जब विपरीत आवेश पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है, तो वायु की इन्सुलेशन क्षमता टूट जाती है और तीव्रता से विद्युत निर्वहन होता है, जिसे तड़ित/आकाशीय बिजली कहा जाता है।
- तड़ित/आकाशीय बिजली बादल के अंदर विपरीत आवेशों के बीच या बादल और भूमि के बीच हो सकती है।



- ग्री-मानसून मौसम में गंभीर आंधी-तूफान बनने की परिस्थितियाँ अत्यधिक अनुकूल होती हैं।

पूर्वानुमान और जागरूकता

- भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्तमान में आंधी-तूफान का पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) दमिनी मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से तड़ित/आकाशीय बिजली गिरने की वास्तविक समय की चेतावनी देता है।
- यह ऐप 23 क्षेत्रीय भाषाओं में आंधी-तूफान के दौरान सावधानी संबंधी दिशानिर्देश साझा करता है, जिससे सुरक्षा जानकारी अधिक सुलभ होती है।
- बढ़ती मृत्युएँ इस बात पर बल देती हैं कि जनता में तड़ित/आकाशीय बिजली गिरने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति अधिक जागरूकता उत्पन्न की जाए।

स्रोत: TH

